प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office

2224.
8-9-25

नई दिल्ली -110011
New Delhi- 110011
Dated: 25/07/2025

No: PMOPG/D/2025/0139128

जन अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान सरकार
क्रमांक 15/15
दिनांक 6-8-2025

To
CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

ACS गृह

कृपया इस प्रकरण में 15 दिवस में आवश्यक कार्यवाही कर [illegible] त करावाते हुए इस विभाग [illegible] । का कष्ट करें।

[illegible]नाधिकारी
जन अभियोग निराकरण विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

SS2
[redacted]
8/8/25

Sub: Petition of ALL OFFICERS AND STAFF
STATE FORENSIC SCIENCE LABORATARY
RPA ROAD NEHRU NAGAR PANIPECH
JAIPUR
RAJASTHAN - 302016

Sir,

I am desired to forward herewith through online mode on PMOPG portal a letter/gist of oral representation dated Nil received in this office from ALL OFFICERS AND STAFF for action as appropriate. Reply may be sent to the Petitioner and a copy of the same may be uploaded on the portal.

JS(P)
11/8/25

[MADHAV KUMAR SINGH]
SECTION OFFICER

18594
12.12.25

SrDS(P)
11/08/25

Portal
072503623725170
26/07/25

[redacted]
21
11/8
D.S.
12/8/25
S.O.
13/12
G.L.

0139128

60

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,

भारत।

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
23 JUL 2025
डाक अनुभाग / DAK SECTION

विषय :– एफ.एस.एल. राजस्थान के निदेशक पद पर आसीन अजय शर्मा के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने तथा इस पद पर आई.ए.एस / आई.पी.एस. लगवाने के निर्देश प्रदान करने के संबध में अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एफ.एस.एल. राजस्थान के निदेशक पद पर विगत 5 वर्षो से एक अपात्र एवं भ्रष्ट अधिकारी अजय शर्मा को लगाया हुआ है जो कि वर्ष 2028 तक निदेशक बना रहेगा। यह भ्रष्ट अधिकारी भर्ती नियमों में अनिवार्य डिग्री के बिना आर.पी.एस.सी. में धांधली कर राज्य सेवा में शामिल होकर प्रमोशन पाकर निदेशक बन बैठा है। उक्त अधिकारी द्वारा प्रलेख खण्ड के केसों की जांच में किये गये फर्जीवाडों पर पूर्व में भी जॉच का निर्णय हुआ था परन्तु उसे मैनेज कर लिया गया, इस प्रकार के कई फर्जीवाडे वर्तमान समय में भी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पद का दुरूपयोग कर एफ.एस.एल. के अन्य खण्डों में भी मनमाफिक अधिकारियों को केस आंवटित कर अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवाई जा रही है। अब निदेशक पर पर आसीन होने के कारण **एफ.एस.एल. में चल रही करोडों की खरीद तथा संविदा पर कार्मिकों की भर्ती में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है।**

इनके भ्रष्टाचार के कुछ मामले निम्नानुसार है :–

1. एफ.एस.एल. राजस्थान में डी.एन.ए. जांच के लिए खरीदे जा रहे किट्स के लिए अन्य राज्यों की तुलना में **4–5 गुणा अधिक कीमत चुकाई जा रही है।** डी.एन.ए. जांच की आवश्यकता के नाम पर राज्य मद से 30 करोड का सालाना व्यय किया जा रहा है जिसमें चहेती कम्पनी के किट्स को अन्य राज्यों हरियाणा, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, उडीसा एवं कर्नाटक के मुकाबले 4–5 गुणा दाम पर लिया जा रहा है जिसमें निदेशक अजय शर्मा एवं कुछ अधिकारी मिलकर एवं जमकर कमीशन लूट रहे हैं। इस प्रकरण में एफ.एस.एल. के ही एक अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग कई स्तर पर की जा चुकी है। संलग्न – एफ.एस.एल. अधिकारी की शिकायत एवं सबूत जिसमें डी.एन.ए. किट्स के लिए राजस्थान अन्य राज्यों के आर्डर में 4–5 गुणा का अंतर स्पष्ट दिख रहा है। **इस तरह अपने कमीशन के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष 20–22 करोड का चूना लगाया जा रहा है।**
2. एफ.एस.एल. की रिपोर्ट जिसे कि 329 बी.एन.एस.एस. में **विशेषज्ञ की रिपोर्ट** माना गया है। तथा जिसे माननीय न्यायालय मे साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाता है उस कार्य के लिए निदेशक अजय शर्मा द्वारा संविदा पर कार्मिक भर्ती किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन करा लिया गया है। ताकि संविदा पर अपने मर्जी के कार्मिक भर्ती कर विशेषज्ञों की साख पर बट्टा लगाया जावे। साथ ही इस तरीके से भर्ती में संविदा कार्मिकों के मनमाफिक चयन मे भ्रष्टाचार किया जा सके। क्योंकि इनके लिए राज्य सरकार के मद से प्रतिमाह लाखों का भुगतान किया जायेगा।

P/GS/CS, Raj
(m)

वर्तमान समय में भी इसी तरह का फर्जीवाडा अजय शर्मा द्वारा डी.एन.ए. एवं साईबर खण्ड के लिए रखे गए प्रशिक्षित मैन पावर (एफ.एस.ए.) में किया जा रहा है। उनके द्वारा मैसर्स किरन एन्टरप्राइजेज, 67ए, शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर की फर्म से संविदा पर प्रति व्यक्ति 41,500/– प्रतिमाह की दर से रखे गये 120 मैन पावर के प्रति माह 49.80 लाख के भुगतान में रखे गये समस्त संविदा कर्मी–मैनपावर का चयन अजय शर्मा द्वारा ही अपने पिछलग्गू अधिकारियों के सहयोग से किया गया है।

गृह विभाग द्वारा पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण में पत्र क्रमांक 03(01)गृह–1/2022 दिनांक 18.01.2023 द्वारा एफ.एस.ए के चयन के तरीकों पर जांच कराने हेतु टिप्पणी मांगी गई थी परन्तु अजय शर्मा द्वारा उसे दबवा दिया गया ।

3. एफ.एस.एल. जयपुर के लेखा कार्मिक अशोक कुमार चन्दोलिया ए.ए.ओ. द्वितीय के विरूद्ध एक इन्टर्न लडकी ने छेडछाड के गंभीर आरोप लगाए है। जिन पर प्राथमिक जांच तथा महिला उत्पीडन कमेटी की जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के उपरांत भी अजय शर्मा द्वारा उक्त लेखा कर्मी को निलम्बित कर मूल विभाग नहीं भेजा गया बल्कि उसको बचाने के लिए **अनुशासनात्मक कार्यवाही को लम्बित रख** उसे बचाया जा रहा है। यह लेखाकर्मी अपने लेखाधिकारी के साथ अजय शर्मा को कमीशन बाजी में सहयोग करता है। (संलग्न निदेशालय कोष एवं लेखा का पत्र 1043 दिनांक 27.06.25 एवं 1503 दिनांक 9.6.2025)

4. अजय शर्मा द्वारा प्राइवेट फर्म महिमा हॉलिडे ट्यूर एवं ट्रेवल्स से वाहन किराये पर लेकर उस पर राजकीय चालकों का उपयोग किया गया जबकि वाहन के साथ प्रावइेट चालक को पूरा भुगतान कराया गया। इस मामले में गृह (ग्रुप–1) विभाग द्वारा प्राथमिक जांच कराई जा चुकी है। जिसमें आरोप सिद्ध पाए गए परन्तु अजय शर्मा ने मामले को दबवा दिया। (संलग्न वाहन प्रदाता फर्म महिमा हॉलिडे ट्यूर एवं ट्रेवल्स से वाहन किराए पर लेने के संबंध में गृह (ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक पीई/सेके/होम/2024 पार्ट–1 दिनांक 20.02.25 तथा 17.04.25)

5. राजस्थान पत्रिका में 26 जनवरी 2024 को छपी डीएनए रिपोर्ट्स में फर्जीवाडे की खबर की आज दिनांक तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। इस मामले में अजय शर्मा द्वारा रिपोर्टकर्ता अधिकारी को नोटशीट पर निर्देश देकर **एक ही व्यक्ति के डीएनए प्रोफाईल को अलग–अलग जिलों के बलात्कार केसों में लगवा दिये गये, जिससे वास्तविक अपराधी की पहचान संभव नहीं हो सकी।** इस प्रकार माननीय न्यायालयों को कई ऐसी रिपोर्ट भेज दी गई जो कि अपराधियों को बचा रहीं है। इस पूरे मामले में अजय शर्मा द्वारा **"मिसयूज ऑफ ऑफिस"** किया गया है।

6. एफ.एस.एल. में उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार करना अजय शर्मा ने अधिकार समझ लिया है। कुछ उदाहरण :–

(1) वर्ष 2022–23 में जैविक खंड के लिए माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 52/2022–23 दिनांक 15 जून 2022 द्वारा स्वीकृत राशि **18 लाख के टेण्डर को निरस्त कर इस उपकरण को 25.46** लाख में पुनः टेण्डर कर खरीद लिया गया। जिसमें अजय शर्मा

तथा सुरेन्द्र सिंह लेखाधिकारी ने वित्तीय नियमों की घोर अवहेलना कर कमीशन बनाया है। (संलग्न–गृह (ग्रुप–2) विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ/(क)(12) गृह–2/2021 दिनांक 15.06.2022 जिसमें वित्त विभाग की आई डी सं. 102202664 दिनांक 3.6.2022 की सहमति जिसमें माईक्रोस्कोप के लिए राशि 18 लाख ही स्वीकृत की गई है।)

(2) इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा अजय शर्मा द्वारा डी.एन.ए. के लिए पी.सी.आर. मशीन की खरीद में कियागया। एफ.एस.एल. के आदेश क्रमांक स 10()लेबो–स्टोर/निर्भयाफण्ड/2019–20/5628 दिनांक 13.10.2020 द्वारा मैसर्स सुजाता एन्टरप्राइजेज को **पी.सी.आर. मशीन के लिए 24.67 लाख** का भुगतान किया गया जबकि उक्त मशीन क्रय किये जाने के बाद 8 महीने तक फर्म द्वारा इसलिए इन्स्टॉल नहीं की गई थी क्योंकि फर्म ने इसके लिए आवश्यक कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराया था। 8 महीने पश्चात किसी प्रकार कम्प्यूटर का जुगाड कार्यालय से किया जाकर मशीन को प्रयोग लायक बनाया गया।

इस प्रकार केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि लगभग 25 लाख का उपयोग अधिकारियों की लापरवाही तथा नाकाबलियत के कारण कई माह तक नहीं हो सका। फिर भी फर्म को पूर्ण भुगतान कर कमीशन बनाया गया। यहां तक कि आडिट आक्षेप में बताई गई वसूली को भी नजरअंदाज कर दिया गया।

(3) भारत सरकार तथा राज्य सरकार से विगत 1–2 वर्षों में एफ.एस.एल. राजस्थान के सुदृढीकरण के लिए करोड़ों रूपये की स्वीकृतियां प्राप्त हुई है। इन स्वीकृति के विरूद्ध मनमर्जी के उपकरण क्रय किये जा रहे हैं। इनके लिए अजय शर्मा स्वयं ही प्रस्ताव बनाकर ऐसें उपकरण खरीद करता है। जिनकी कीमत **अपेक्षाकृत ज्यादा** हो। इस कार्य के लिए वह मनमाफिक विशेषज्ञों की टीम बनाकर उनसे कमीशन देने वाली फर्म मैसर्स सुजाता एन्टरप्राइजेज/नेक्स्टजेन जयपुर (जो कि एक ही प्रोपराईटर की फर्म हैं) से उपकरणों की खरीद हो सके ऐसे स्पेसीफिकेशन बनाकर लाखों रूपये कमीशन में कमा रहा है। इन फर्मो के ही उपकरण क्रय किये जा सके इसके लिए अपनी चहेती महिला मित्र तथा 2–3 अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाकर धांधली लगातार कई वर्षों से की जा रही है।

7. अजय शर्मा जो कि किसी भी विषय में विशेषज्ञता की डिग्री नहीं रखता है, उसके द्वारा एफ.एस.एल. राज्य के जैविक, रसायन एवं भौतिक विषयों के अन्तर्गत संचालित डी.एन.ए. जैविक, सीरम, विष, नारकोटिक्स, रसायन, बेलेस्टिक, साईबर, फोटो एवं भौतिक खण्डों के मनमाफिक भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। इन लक्ष्यों के निर्धारण में उक्त अयोग्य व्यक्ति द्वारा बी.पी.आर.एंड.डी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं मैनपॉवर टीम की पूर्णतः अवहेलना की गई है। एफएसएल में स्टाफ की कमी को दूर करने की

समग्र प्लानिगं नहीं किये जाकर मात्र डी.एन.ए. तथा साईबर जैसे मोटी कमीशन की कमाई वाले खण्डों के लिए संविदा पर कार्मिक रखे जाने जैसी अदूरदर्शी योजनाएं बनाकर राज्य सरकार को गुमराह किया जा रहा है। जबकि अजय शर्मा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 8 वर्ष का निदेशक पद का कार्यभार सौपा गया है उसे समस्त विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर एफएस.एल की योजनाएं बनानी चाहिए। इस बाबत बार–बार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे **अदूरदर्शी तथा नाकाबिल व्यक्ति को निदेशक पद से तुरन्त हटाकर किसी आई. ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी को निदेशक पद दिया जाना चाहिए।** ताकि एफएसएल की गरिमा बनी रहे।

8 अजय शर्मा द्वारा आर.एफ.एस.एल कोटा प्रयोगशाला भवन में गृह विभाग की स्वीकृति से भिन्न कार्य करवाये जाकर सरकार को 54 लाख से ज्यादा का नुकसान करा दिया गया। गृह विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर गोल–मोल जवाब भिजवाये जाकर लीपा–पोती की जा रही है जबकि इसके लिए पी.डब्ल्यू. डी. को भुगतान किया जाकर अजय शर्मा तथा लेखाधिकारी द्वारा कमीशन भी ले लिया गया है।

इस प्रकरण में **गृह विभाग की स्वीकृति संख्या 114/2022–23 द्वारा मदवार राशि आंवटन** के विपरीत अन्य मदों में कार्य करवाया जाकर 54 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। **जिसके संबंध में क्षेत्रीय प्रयोगशाला कोटा के तीन अधिकारियों की कमेटी ने नियम विरूद्ध कार्यो को लेकर जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रखी है।** परन्तु अजय शर्मा इस सारे प्रकरण को दबाने में लगा है।

9. अजय शर्मा निदेशक एफएसएल के पद का लाभ उठाकर प्राइवेट कॉलेजों से सांठगांठ कर प्राइवेट कॉलेजों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराने के लिए बुलवाता है। इन विद्यार्थियों में से अपने पसंदीदा को ही संविदा पर भर्ती कर भ्रष्टाचार कर रहा है। एफएसएल में इंटर्नशिप के लिए राज्य सरकार के गृह(ग्रुप–1) विभाग के पत्र क्रमांक प.03(07)गृह–1/2023/13634 दिनांक 22.8. 2023 से जारी पॉलिसी की खुली अवहेलना की जा रही है। अपने चहेते कॉलेजों जिनमें राज्य से बाहर के कॉलेज भी शामिल है, से प्रस्ताव मेल पर मंगवाकर स्वयं के द्वारा ही सीधे आदेश जारी किये जा रहे हैं। **जबकि गृह विभाग के आदेशानुसार राज्य के बाहर के कॉलेजों को इंटरशिप करना नियमविरूद्ध है। इस प्रकार 2 वर्ष में सैंकड़ो विद्यार्थियों को इंटरशिप कराई जा चुकी है।**

अजय शर्मा द्वारा यूपी. हिमाचल, देहली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के प्राइवेट कॉलेजों के प्रोफेसरों से जान पहचान बनाकर उन कॉलेजों में **एक्स्टर्नल एक्जामिनर** बनकर बिना राजकीय अनुमति के जाकर परीक्षा/इंटरव्यू/रिपोर्ट आदि का कार्य किया जा रहा है। फिर इन्हीं कॉलेजों के विद्यार्थियों को एफएसएल में इंटर्न के बहाने प्रवेश दिलाया जाता है।

एफएसएल को ट्रान्सफर/पोस्टिंग में मनमर्जी कर अजय शर्मा ने पद का दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार किया है।

कुछ उदाहरण–

(1) शालू मलिक, उपनिदेशक को आरएफएसएल जोधपुर में विगत 27 वर्षों से बैठा रखा है क्योंकि यह महिला इनकी खास है जिसके बारे में एफएसएल का एक–एक कार्मिक जानता है। उक्त महिला अजय शर्मा की खरीद फरोक्त में भी कोर मेंबर है।

(2) परमजीत सिंह अति. निदेशक को आरएफएसएल उदयपुर में विगत 21 वर्ष से रखने के लिए बार–बार नियम विरूद्ध कार्य किये जाते हैं। उक्त अधिकारी को एफएसएल जयपुर में पोस्टिंग के गृह विभाग के आदेश ना तो कभी निरस्त हुए और ना ही इसमें जयपुर में ज्वाइन किया। यह फर्जीवाड़ा 3 वर्ष 6 माह चलता रहा फिर पदोन्नति पर उदयपुर पोस्टिंग दे दी गई।

(3) विश्वास भारद्वाज सहा. निदेशक भौतिक को भरतपुर पदस्थापन के पश्चात भी जयपुर में रोके रखने के आदेश जारी कर दिये। उक्त अधिकारी की लाखो रूपये की वसूली को गृह विभाग के आदेश के बावजूद दबाए रखना भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है।

उल्लेखनीय यह भी है कि गृह विभाग द्वारा बार–बार उक्त अधिकारी की शिकायतों को जाँच / टिप्पणी हेतु एफएसएल को ही भिजवा दिया जाता है। जिसमें लीपा–पोती कर दी जाती है।

अतः उपरोक्त बिन्दूओं पर शीघ्रातिशीघ्र सक्षम स्तर से जांच करवाने तथा उक्त भ्रष्ट अधिकारी अजय शर्मा को तुरन्त निदेशक पद से पदमुक्त करते हुए आईएएस/आईपीएस को निदेशक एफएसएल लगाने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करने का श्रम करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
एफ.एस.एल
राजस्थान, जयपुर।